

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

Phone No. - 07749-223750, Email- Surajpur.Election@ @gov.in

:: ज्ञापन ::

क्र. / 918 / निर्वा.पर्य. / लोक.स.निर्वा. / 2024  
प्रति,

सूरजपुर, दिनांक 16 / 03 / 2024

सर्व विभाग / कार्यालय प्रमुख  
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :- लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत सम्पत्ति विरुपण की जानकारी एवं प्रमाण पत्र प्रेषित करने बावत्

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.03.2024 को लोकसभा निर्वाचन, 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है।

अतएव लोकसभा निर्वाचन, 2024 की घोषणा के 24 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक/437/6/1/ECI/ INST/ FUNCT/ MCC दिनांक 18.01.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शासकीय सम्पत्ति पर विरुपण को हटाने की कार्यवाही करते हुए जानकारी एवं संलग्न पत्र में प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

पृ.क्र. / 918<sup>A</sup> / निर्वा.पर्य. / लोक.स.निर्वा. / 2024  
प्रतिलिपि :-

सूरजपुर, दिनांक 16 / 03 / 2024

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।



कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

कार्यालय..... जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

—::प्रमाण पत्र::—

प्रमाणित किया जाता है कि लोकसभा निवाचन, 2024 की घोषणा के 24 घंटों के अंदर इस कार्यालय एवं इस कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों और उनके परिसरों जिसमें कार्यालय भवन स्थित है, के सभी दीवार लेखन, पोस्टर / स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर, झंडें, या किसी अन्य रूप में विरूपण आदि को हटाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई तथा भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक/437/6/1/ECI/ INST/ FUNCT/ MCC दिनांक 18.01.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किसी भी प्रकार की विरूपण हटाने की कार्यवाही लंबित नहीं है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर

जिला अधिकारी का नाम .....

कार्यालय का नाम .....